सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 02, मंगलवार, *शाके 1946*-सितम्बर 24, *2024*	
Asvina 02, Tuesday, Saka 1946- September 24, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 25, 2024

संख्या प. 2(40) वन/2024 :- चूँकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी अंश की स्वत्तधारी (Entitled) है।

और चूँकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करनें का विचार रखती है।

और चूँकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि मे अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चूँकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा। इस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचानें की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3) की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर/असिस्टेंट अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतू नियुकित करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख तथा साक्ष्य प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्त की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, (1), 13, 14, 17, 18, तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरा में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नही आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन के वह वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अकिंत किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और

उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूचि (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूचि (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम का नाम	विवरण				
1	2	3	4	5	6	7				
	22 ए.एस. बी.	घड़साना	गंगानगर	उत्तर मे निजी भूमि व अनूपगढ़ शाखा नहर मु.न. 124/4 दक्षिण मे निजी भूमि मु. न. 124/7 पूर्व मे आबादी भूमि मु. न. 124 व 124/13 14 पश्चिम मे चक सीमा 22 ए एस बी व पश्चिम दिशा मे रास्ता मु. न. 104 व 104/61 62	22 ए.एस. बी.	क्र. सं	प. न./ मु. न.	भूमि	विवरण	
								कि. न. /ख.न.	रकबा हैक्टेयर मे	भूमि किस्म
						1	124/5 25	1	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								2	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								3	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								4	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								5	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								6	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								7	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								8	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								9	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								10	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								11	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								12	0.2530	नरसरी(

										अ.क.)
								13	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								14	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								15	0.2530	नरसरी (क)
								16	0.2530	नरसरी (क)
								17	0.2530	नरसरी (क)
								18	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								19	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								20	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								21	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								22	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								23	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								24	0.2530	नरसरी (क)
								25	0.2530	नरसरी (क)
							योग - कुल किता 25		5.0600 1.2650	नरसरी(अ.क.) नरसरी (क)
						2	124/6 34	1/1	0.2270	नरसरी(अ.क.)
								2	0.2530	नरसरी(अ.क.)
								3	0.2530	नरसरी (क)
								4	0.2530	नरसरी (क)

								5	0.2530	नरसरी (क)
								6	0.2530	नरसरी (क)
								7	0.2530	नरसरी (क)
								8	0.2530	नरसरी (क)
								9	0.2530	नरसरी (क)
								10/1	0.2270	नरसरी (क)
								11/2	0.2280	नरसरी (क)
								12	0.2530	नरसरी (क)
								13	0.2530	नरसरी (क)
								14	0.2530	नरसरी (क)
								15	0.2530	नरसरी (क)
								16	0.2530	नरसरी (क)
								17	0.2530	नरसरी (क)
								18	0.2530	नरसरी (क)
								19	0.2530	नरसरी (क)
								20/2	0.2280	नरसरी (क)
								21/1	0.2280	नरसरी (क)
								22	0.2530	नरसरी (क)
								23	0.2530	नरसरी (क)
								24	0.2530	नरसरी

										(क)
								25	0.2530	नरसरी (क)
							योग - कुल किता 25		0.4800 5.7180	नरसरी(अ.क.) नरसरी (क)
							महायोग कुल किता 50		5.5400 6.9830	नरसरी(अ.क.) नरसरी (क)
							कुलयोग		12.5230	हैक्टेयर

(श्यामलाल)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
घडसाना

(दिलीप सिंह राठौड़)
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्ष

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी नाम
1	Acacia Tortalis	ईजराईल बबूल
2	Acacia Arabica	देशी बबूल
3	Zizyphus jhujhuba lam	बेर
4	Prosopis Cineraria	खेजड़ी
5	Zizyphus Xyloptyra Wild	कठबेर
6	Capparis Decidna	केर
7	Aerua Tometosa	सफेद/काली बुई
8	Calotropis Procera	आक
9	Cenchrus Cilliaris	धामण घास
10	Leptadenia pyrotechnica	खींप
11	Zizyphus Nummularia	झड़ बेर
12	Saccharum Munja	मूजा घास

(श्यामलाल)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
घडसाना

(दिलीप सिंह राठौड़)
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

परिशिष्ठ "क"

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड – 22 ए.एस.बी.

नाम रेंज – घड़साना

नाम तहसील – घड़साना

नाम वन मण्डल – श्रीगंगानगर

1- संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण सरकारी विभागों के नियंत्रण की गैर मुमकिन नरसरी हिस्सा-पूर्ण सरकारी विभागों की भूमि है जिससे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत रूप से किला नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।

2- वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में भूमि वन विभाग नरसरी के नाम दर्ज है तथा मौके पर वन विभाग द्वारा वन विकास कार्य करवाये गये इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।

3- वर्तमान में कुल क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है। इसमें कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है।

4- भूमि पर वृक्षों झाडियों व घास का घनत्व 65 प्रतिशत है। इस वनखण्ड में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है।

5- समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों की भूमि है तथा चारों और सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में अंकित कर दिया गया है।

6- वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगत किया गया है।

7- प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8- उक्त वन विभाग की भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

9- उक्त वनखण्ड 22 ए.एस.बी. मे पश्चिम दिशा मे मु. न. 124/6 से गैर मुमकिन रास्ता गुजर रहा है। रास्ता को विज्ञप्ति मे शामिल नहीं किया गया है व रास्ता को नीली स्याही से अंकित किया गया है।

10- भूमि प्रकार के अनुसार वर्गीकरण सरकारी विभागों के नियंत्रण की गैर मुमकिन नरसरी हिस्सा-पूर्ण सरकारी विभागों की भूमि है कुल किता/खसरे 50 नरसरी(अ.क.) 5.5400 हैक्टेयर व नरसरी(क) 6.9830 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 12.5230 हैक्टेयर है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 7 में दर्शाया गया है।

(श्यामलाल)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
घडसाना

(दिलीप सिंह राठौड़)
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।